कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म.प्र. भोपाल

क्रमांक/आ.ले.प./2019/4743

भोपाल, दिनांक 4/9

प्रति,

1. मुख्य वन संरक्षक क्षेत्रीय (समस्त)
2. आहरण एवं संवितरण अधिकारी,
   म.प्र. शासन, वन विभाग (समस्त)
   मध्यप्रदेश।

विषयः—भण्डार क्रय के संबंध में।

संदर्भः— 1. म.प्र. भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम—2015

2. म.प्र. शासन, वाणिज्य और रोजगार विभाग, मंत्रालय भोपाल का ज्ञाप क्रमांक/एफ.6—14/2012/अ—ग्यारह भोपाल दिनांक 04.01.2016 एवं ज्ञाप क्रमांक/एफ. 6—14/2012/अ—ग्यारह भोपाल दिनांक 07.01.2016

3. म.प्र. शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मंत्रालय भोपाल का ज्ञाप क्रमांक/एफ.-3—114/2017/अ—तेहत्तर, भोपाल दिनांक 03.05.2018 एवं ज्ञाप क्रमांक/एफ. 6—9/2016/अ—तेहत्तर भोपाल दिनांक 05.09.2018

—00—

विषयान्तर्गत संदर्भित नियमों/ज्ञाप का अवलोकन करें। विभागीय आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की लेखाओं के महालेखाकार द्वारा किए जा रहे अंकेक्षण एवं आंतरिक लेखा परीक्षण में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि अधिकांश कार्यालयों द्वारा म.प्र. भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 के प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है।

म.प्र. भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम—2015 के अनुसार अनारक्षित सामग्रियों के लिए डायरेक्ट परचेस प्रणाली (निविदा आमंत्रित किए बगैर) के अंतर्गत रू. 20,000/— माह में पांच बार (देखें म.प्र. भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम—9) एवं विभागीय क्रय समिति प्रणाली के अंतर्गत रू. 1.00 लाख (देखें म.प्र. भण्डार क्रय नियम—10) मूल्य की सामग्री का क्रय किया जा सकता है।

इसी प्रकार रू. 5.00 लाख मूल्य तक की सामग्री के क्रय हेतु सीमित निविदा (देखें म.प्र. भण्डार क्रय नियम—11.1) एवं रू. 5.00 लाख से अधिक मूल्य की सामग्री के लिए ई—टेंडरिंग प्रणाली से खुली निविदा के माध्यम से क्रय (देखें म.प्र. भण्डार क्रय नियम—11.2) करने का प्रावधान है।

वर्तमान में म.प्र. शासन, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा जारी ज्ञाप क्रमांक एफ. 6—9/2016/अ—तेहत्तर दिनांक 05.09.2018 के अनुसार उक्त नियम के नियम—6 में इन नियमों के परिशिष्ट—'अ' में वर्णित वस्तुएं म.प्र. लघु उद्योग निगम के माध्यम से क्रय हेतु आरक्षित की गई है। म.प्र. लघु उद्योग निगम के माध्यम से क्रय हेतु सामग्री आरक्षण की उपरोक्त व्यवस्था एतद् द्वारा समाप्त की जाती है। लेख है।

उपरोक्तानुसार म.प्र. भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम—2015 के परिशिष्ट—'अ' में वर्णित वस्तुओं का क्रय क्रयकर्ताओं द्वारा नियम 10 में उल्लेखित प्रावधानों का पालन करते हुए सीधे क्रय किया जा सकेगा।

इन वस्तुओं का क्रय इन नियमों के अंतर्गत म.प्र. लघु उद्योग निगम / Gem पॉटल के माध्यम से म.प्र. भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम–2015 के प्रावधानों के तहत भी किया जा सकेगा।

अतः भण्डार क्रय में म.प्र. भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 का (समस्त संशोधनों सहित) पूर्ण रूप से पालन किया जावें। इन नियमों में नियम–34 के अनुसार "इन नियमों का उल्लंघन म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के तहत कदाचरण माना जाएगा"।

संलग्नः–संदर्भित (4) पत्रों की छायाप्रति।

31/8/19

(जे.के. मोहन्ती)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ.क्र. / आ.ले.प. / 2019 / 4744

भोपाल, दिनांक 4/9/19

प्रतिलिपिः–

1– समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी) की ओर प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर भी इसे अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नः–संदर्भित (4) पत्रों की छायाप्रति।

31/8/19

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख
मध्यप्रदेश, भोपाल